

एस-14020/07/2020-एससीडी-IV (ई.ओ. 35959)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

(एससीडी-IV अनुभाग)

विज्ञान भवन सौध

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 11.11.2022

सेवा में,

प्रबंध निदेशक

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड

आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस,

नई दिल्ली-110019

विषय: पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ-बीसी) (2021-22 से 2025-26) स्कीम की वित्तीय सहायता हेतु प्रचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन।

महोदय,

मुझे पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ-बीसी) (वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) की स्कीम के लिए दिशानिर्देश संलग्न करने का निदेश प्राप्त हुआ है।

2. यह अनिवार्य है कि दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित किया जाए और स्कीम के अंतर्गत बेहतर कवरेज प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रचार किया जाए।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
4. इस स्कीम का हिंदी संस्करण बाद में अग्रेषित किया जाएगा।

(कामखानमंग पाइटे)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. एचएमएसजेई के पीएस/एमओएस (आरए) के पीएस/एमओएस (एएन) के अपर पीएस/एमओएस (पीबी) के अपर पीएस/सचिव (एसजेई) के पीपीएस/अपर सचिव (एसजेई) के पीपीएस/सभी जेएस (एसजेई)/जेएस एंड एफए/ आर्थिक सलाहकार (एसजेई)/डीडीजी (आंकड़े) और ईएफसी के सदस्य।
2. एनआईसी सेल, एम/ओ एसजेई को विभाग की वेबसाइट पर वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ। (हिंदी कॉपी शीघ्र ही उपलब्ध होगी)
3. हिन्दी अनुभाग इस अनुरोध के साथ कि इसका हिन्दी में अनुवाद कर इस प्रभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं।
4. कृपया सूचना और व्यापक प्रसार के लिए मीडिया अनुभाग।

‘पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी कोष’ संबंधी स्कीम

पिछड़े वर्गों के उद्यमियों की वित्तीय सहायता हेतु प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026)

1. पृष्ठभूमि:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में उद्यम पूंजी कोष लिमिटेड (आईएफसीआई) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से अनुसूचित जातियों के लिए एक उद्यम पूंजी कोष का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए एक ऐसे ही कोष का निर्माण करने के लिए मांग बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा, शिक्षा तथा सामाजिक विकास संबंधी सचिव समूह ने भी पिछड़े वर्ग (बीसी) के लिए एक उद्यम पूंजी कोष की स्थापना करने की सिफारिश की थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22.12.2017 को आयोजित एसएफसी बैठक में एससी के लिए उद्यम पूंजी कोष के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग घटक को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। पिछड़ा वर्ग उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ-बीसी) संबंधी प्रचालन दिशा-निर्देश दिनांक 22.12.2017 को अधिसूचित किए गए थे।

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा उनको वित्तीय रियायत उपलब्ध कराना है।

2. उप-स्कीम के उद्देश्य:

“उद्यमिता” का संबंध नवाचार तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रति उन्मुख व्यवसायों का प्रबंधन करने वाले उद्यमियों से है। उपर्युक्त कोष का मुख्य प्रयोजन उन उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है, जो समाज के लिए दौलत एवं मूल्य का सृजन करेंगे और साथ ही लाभकारी व्यवसाय को बढ़ावा देंगे।

इस स्कीम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

क) यह राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली सामाजिक सेक्टर की पहल है ताकि भारत में पिछड़े वर्गों की (बीसी) आबादी के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।

ख) नवाचार तथा संवृद्धि प्रौद्योगिकियों के प्रति उन्मुख पिछड़े वर्गों के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देना।

ग) बीसी उद्यमियों द्वारा नए इनक्यूबेशन विचारों और स्टार्ट-अप विचारों को सहायता व समर्थन प्रदान करना है जो समाज के लिए दौलत एवं मूल्य सृजन करेंगे तथा साथ ही लाभप्रद व्यवसाय को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार निर्मित दौलत से अगले/पिछले लिंकों का सृजन होगा।

घ) पिछड़े वर्ग (बीसी) के उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है और उन्हें पिछड़े वर्ग (बीसी) के समुदायों की भावी संवृद्धि हेतु अभिप्रेरित करना है।

ङ) पिछड़े वर्ग (बीसी) उद्यमियों को आर्थिक रूप से विकसित करना।

च) भारत में पिछड़े वर्ग (बीसी) आबादी के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में वृद्धि करना।

3. बीसी उद्यमियों के लिए मांग:

यह अनुमान है कि ऐसी कंपनियों को रियायती वित्त उपलब्ध कराने की बहुत भारी मांग है जो कंपनियां ऐसे उद्यमियों के व्यवसायों को सुदृढ़ कर सकती हैं।

कोष के सांकेतिक पहलू:

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	प्रायोजक एजेंसी का नाम	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
2.	स्कीम का आकार	प्रारंभिक पूंजी कोष 200 करोड़ रूपए था जिसे प्रतिवर्ष अनुपूरित किया जाना है। आईएफसी द्वारा वर्तमान अंशदान तथा भविष्य में भारत सरकार द्वारा कोष के लिए बजटीय सहायता बढ़ाए जाने की पृष्ठभूमि में भारत सरकार के हिस्से के अनुपात के अनुरूप होगा। आईएफसीआई कोष अंशदान के लिए लेखाबही का प्रावधान करेगी। तथापि, वास्तविक निर्गम/वितरण कोष से वितरण के निर्धारित सीमा पर पहुंचने के बाद ही किया जा सकता है। भारत सरकार/आईएफसीआई द्वारा किए गए अंशदान से व्यापक कोष की निधियां उपलब्ध होती है इस बात पर विचार करते हुए निर्धारित सीमा 500 करोड़ होगी। अथवा कोष से कुल वितरण 80% अंक को छू ले, अथवा जो भी अधिक हो।
3.	स्कीम प्रकृति	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम।
4.	स्कीम संरचना	कोष को एसईबीआई के अंतर्गत एआईएफ विनियम 2012 के अंतर्गत पंजीकृत और स्थापित किया गया है जिसके भारत सरकार एंकर निवेशक और आईएफसीआई लिमिटेड प्रायोजक निवेशक के रूप में हैं।
5.	परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी (एएमसी)/ नोडल एजेंसी का नाम	आईएफसीआई उद्यम पूंजी कोष लिमिटेड।
6.	कोष की अवधि	भारत सरकार के अनुमोदन से 2 अतिरिक्त वर्षों अर्थात 31 मार्च, 2007 तथा 31 मार्च, 2010 तक के विस्तार से युक्त अंतिम समापन की तारीख से 14 वर्ष।
7.	कोष के अधीन समापन	<ul style="list-style-type: none"> प्रारंभिक समापन: न्यूनतम 20.00 करोड़ रूपए के 01 अक्टूबर, 2019 अंतिम समापन: 31 मार्च, 2026
8.	आहरण की अवधि:	निधिकोष के पूंजीगत अंशदान को 31 मार्च, 2026 तक आहरित किया जा सकता है।
9.	निवेश अवधि:	समापन की तारीख से 5 वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2026
10.	स्कीम लागत:	<ul style="list-style-type: none"> कोष के व्यय: निधिकोष का 1.5% (एक बारगी), निधि कार्यकाल तक विस्तारित किया जा सकता है। एएमसी की प्रबंधन शुल्क: प्रतिबद्धता अवधि (आहरण अवधि तक) के दौरान कुल पूंजी प्रतिबद्धता का 1.5% प्रतिवर्ष की दर से प्रबंधन शुल्क तथा इसके बाद प्रबंधन

		शुल्क बकाया पूंजी योगदान का 1.5% प्रतिवर्ष होगा। इकाइयों की सफलता और धन के वितरण के लिए शुल्क संरचना का लिकेज मार्च 2024 तक माफ कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि परिणाम (जैसा कि अनुबंध-III में बताया गया है) हासिल कर लिया गया है। मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 तक कोष से उपलब्ध शेष राशि के वितरण का आकलन करेगा और अप्रैल, 2023 में वित्त वर्ष 2023-24 तक उपलब्ध अतिरिक्त कोष को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को अग्रेषित करेगा। वीसीएफ-एससी कोष की सफलता का आकलन भी किया जाएगा।
11.	निवेशकों को कोष की वापसी:	<ul style="list-style-type: none"> • भारत सरकार के अलावा अन्य निवेशकों से अंशदान प्राप्त करने के लिए कोष में निवेश इकाइयों के दो प्रकार जारी किए जाएंगे यथा वर्ग 'क' इकाई और वर्ग 'ख' इकाई। • भारत सरकार और प्रायोजित निवेशक को वर्ग 'ख' इकाइयां आवंटित की जाएगी। • इकाइयों के मोचन और रिटर्न के भुगतान में भी वर्ग 'क' को वर्ग 'ख' की तुलना में वरीयता दी जाएगी। • वर्ग 'क' इकाई को 8% प्रति वर्ष के रिटर्न की बाधा दर मिलेगा, शेष केश फ्लो वर्ग 'ख' के पास जाएगा।
12.	बदलाव:	भारत सरकार के किसी सुझाव, एसईबीआई की अपेक्षा, कानूनी और कर संबंधित मुद्दों आदि के अनुसार ऊपर दी गई शर्तें/निबंधन/संरचना अलग-अलग हो सकती है, समय-समय पर आशोधित/संशोधित की जा सकती है।
13.	ट्रस्ट की कार्य अवधि	ट्रस्ट के अंतर्गत स्कीमों के बंद होने के 2 साल बाद अर्थात् 21 मार्च, 2043 तक
14.	निधियों का उपयोग	स्वीकृत/प्रतिबद्ध निधियों तथा व्यय को निधियों के उपयोग के रूप में माना जाएगा।

5ü सांकेतिक कार्यान्वयन अवधि तथा प्रचालन के क्षेत्र:

पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी कोष वर्ष 2019-20 से पूरे देश में कार्यान्वित की जाएगी।

6. स्कीम की सांकेतिक संरचना

पात्रता मानदंड:

कोष के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड निम्नलिखित हैं:

- प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर्स में स्थापित किए जा रहे स्टार्ट-अप तथा इकाइयों सहित विनिर्माण, सेवाओं तथा संबद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाओं तथा इकाइयों निर्देशित निधियों से दौलत का सृजन सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा।

- कोष के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों में से कम से कम 30 प्रतिशत महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए;
- **50 लाख रुपए तक की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियां:** ऐसी कंपनियां जिनमें
 - क पिछड़े वर्गों के उद्यमियों द्वारा विगत 6 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण सहित कम से कम 51% हिस्सेदारी रखी जाती हो अथवा;
 - ख कोई नई कंपनी बशर्ते की वह नई कंपनी किसी स्वामित्व वाली फर्म अथवा सहभागिता फर्म अथवा एकल व्यक्ति कंपनी अथवा सीमित देयता सहभागिता अथवा ... माह से अधिक समय से प्रचालनरत ठोस व्यवसाय मॉडल से युक्त प्रवर्त विधि के अधिन निगमित किसी अन्य संस्थापना, जिसमें प्रबंधकीय नियंत्रण से युक्त पिछड़े वर्गों के उद्यमियों की पूर्ववर्ती कंपनी के पास 51% शेयरधारिता हो कि उत्तराधिकारी कंपनी नई कंपनी होगी।
- **50 लाख रुपए से अधिक की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियां:** ऐसी कंपनियां जिनमें
 - क पिछड़े वर्गों के उद्यमियों द्वारा विगत 12 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण सहित कम से कम 51% हिस्सेदारी रखी जाती है अथवा;
 - ख कोई नई कंपनी बशर्ते की वह नई कंपनी किसी स्वामित्व वाली फर्म अथवा सहभागिता फर्म अथवा एकल व्यक्ति कंपनी अथवा सीमित देयता सहभागिता अथवा ... माह से अधिक समय से प्रचालनरत ठोस व्यवसाय मॉडल से युक्त प्रवर्त विधि के अधिन निगमित किसी अन्य संस्थापना, जिसमें प्रबंधकीय नियंत्रण से युक्त पिछड़े वर्गों के उद्यमियों की पूर्ववर्ती कंपनी के पास 51% शेयरधारिता हो कि उत्तराधिकारी कंपनी नई कंपनी होगी।
- प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उद्यमियों द्वारा बीसी होने का दस्तावेजी सबूत जमा कराना होगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इंक्यूबेशन केंद्र/नियम से दस्तावेजी सबूत /प्रमाणपत्र अथवा बीसी उद्यमी के नाम पर पेटेंट/स्वत्वधिकार के दस्तावेज जमा कराने होंगे। भारत सरकार के विभाग का मंजूरी पत्र जमा कराना होगा। ई-दस्तावेज भी स्वीकार होंगे।
- ₹ करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी सहायता वाली कंपनियों के लिए जहां बैंक/एफआई मंजूरी है, न्यास/निधि प्रबंधक द्वारा जारी किया गया धन बैंक/एफआई भारत सरकार के विभाग द्वारा जारी की गई ऋण किस्त के समानुपात में होगा।

स्कीम संबंधी ब्यौरा (सांकेतिक):

वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	उप-स्कीम का उद्देश्य	पिछड़े वर्गों (बीसी) के उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करना। महिला/दिव्यांग अनुसूचित जाति के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2.	निवेश फोकस	प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटरों में स्थापित किए जा रहे स्टार्ट-अप तथा इकाइयों सहित विनिर्माण, सेवाओं तथा संबद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाओं तथा इकाइयों निर्देशित निधियों से दौलत का सृजन सुनिश्चित

		करने पर विचार किया जाएगा।
3.	वित्तीय सहायता की प्रकृति	<p>•क॥ शेयरों (सीसीपीएस) (कॉर्पस का अधिकतम ₹०० तक) निम्नलिखित के अधीन निवेश किया जा सकता है:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. ऐसा निवेश योग्यता मानदंड के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाली नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी-उन्मुख परियोजनाओं/स्टार्ट-अप तक सीमित हो सकता है; ii. एक कंपनी में अधिकतम इक्विटी निवेश ₹० हो सकता है, जो अधिकतम 5 करोड़ रूपए के निवेश के अधीन है; iii. ऐसा निवेश लागू कानूनों के अधीन प्रत्येक कंपनी में शेयरों के अंकित मूल्य पर होगा; iv. कोष के अंतर्गत प्रत्येक निवेश में, न्यूनतम ₹०० निवेश डिबेंचर के रूप में होगा। <p>•ख॥ अनिवार्यतः परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी), वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी), गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी), आदि। इन विलेखों पर उन सभी कंपनियों के लिए विचार किया जाएगा जो उपर्युक्त श्रेणी 'क' के अंतर्गत नहीं आती हैं।</p> <p>•ग॥ कुल वित्तीय सहायता में से न्यूनतम 20% सहायता अगले 10 वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी अंतराल निधीयन के लिए निर्धारित की जानी चाहिए।</p> <p>ऐसी सहायता आवर्ती प्रकृति की नहीं होगी। इस तरह की सहायता की प्रमात्रा परियोजना की आवश्यकता के अनुसार, मामला-दर-मामला, आधार पर निवेश समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी।</p> <p>निम्नलिखित शर्तों के अधीन कोष के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को भी ऐसी सहायता प्रदान की जा सकती है:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. खाता मानक होना चाहिए। ii. लाभार्थी कंपनी को कार्यशील पूंजी सहायता के लिए राष्ट्रीयकृत/निजी/सहकारी बैंकों को आवेदन करना होगा और स्वीकृत सहायता या तो परियोजना के नकदी प्रवाह अनुमानों के अनुसार आवश्यक से कम करे अथवा ऐसे बैंकों ने व्यवहार्यता के अलावा किसी अन्य आधार पर सहायता से इनकार किया हो।

		यह सहायता कोष के समग्र निधियन पैटर्न के भीतर होगी।
4.	वित्तीय सहायता की अवधि	डिबेंचर के मामले में अधिस्थगन अवधि सहित 10 वर्ष तक। इक्विटी के मामले में, बाहर निकलने का निर्णय, मामला-दर-मामला आधार पर, अधिकतम 10 वर्ष तक के कार्यकाल के साथ लिया जाएगा।
5.	मूलधन पर ऋणधिस्थगन	डिबेंचर के मामले में, मामला दर मामला आधार पर, लेकिन निवेश की तारीख से 36 महीने से अधिक नहीं। ब्याज भुगतान कंपनी में निवेश की तारीख से निवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर शुरू होगा।
6.	निवेश का आकार	₹..लाख रूपए से 15 करोड़ रूपए । कुल सहायता कंपनी की चालू निवल संपत्ति के दो गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7.	निवेश के माध्यम से प्रत्याशित रिटर्न	<ul style="list-style-type: none"> •क॥ इक्विटी निवेश में, बायबैक/रणनीतिक निवेश/आईपीओ के माध्यम से बर्हिगमन के समय रिटर्न 8% प्रति वर्ष होगी। •ख॥ ऋण/परिवर्तनीय लिखत - 8% प्रति वर्ष •महिलाओं*/दिव्यांग** उद्यमियों के लिए - 7.75% प्रति वर्ष) ॥ पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमी के स्वामित्व वाली कंपनी पर विचार करने के लिए, पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमी के पास कंपनी में कम से कम 51% शेयरधारिता होनी चाहिए और वह कंपनी की प्रबंध निदेशक होनी चाहिए; ॥दिव्यांग उद्यमियों के मामले में, दिव्यांग के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।॥
8.	निधियन पद्धति	<p>कोष के अंतर्गत निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता - इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश परियोजना लागत के अधिकतम 75% तक और शेष 25% परियोजना लागत का वित्त पोषण प्रमोटरों द्वारा या केंद्र या राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी / अनुदान के माध्यम से किया जाएगा। उन मामलों में जहां सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है, प्रमोटरों को परियोजना लागत का कम से कम 15% अंशदान देना होगा। • 5 करोड़ रूपए से अधिक की वित्तीय सहायता - इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक वित्त

		<p>पोषित किया जाएगा। परियोजना लागत का कम से कम 25% केंद्र अथवा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रमोटरों द्वारा अथवा सरकारी सब्सिडी / अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, और परियोजना लागत का शेष 25% अथवा तो प्रमोटरों द्वारा अथवा बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है।</p> <p>उन मामलों में जहां सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है, प्रमोटरों को परियोजना लागत का कम से कम 15% अंशदान देना होगा।</p> <p>] भविष्य में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के विस्तार चरण के दौरान निजी क्षेत्र के वीसी फंडों द्वारा सह-निवेश के तालमेल का पता लगाया जा सकता है।</p>
9.	निकास तंत्र	<p>परिचालनों/बायबैक/प्रमोटरों/कंपनियों द्वारा छूट, कार्यनीतिक निवेश, स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग अथवा किसी अन्य निकास प्रक्रिया के माध्यम से भुगतानों के जरिए बर्हिगमन।</p> <p>वित्तीय सहायता की प्रकृति और कंपनी के कार्य निष्पादन अध्यधीन अलग-अलग मामलों के आधार में बर्हिगमन की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।</p>
10.	सुरक्षा	<p>निवेश के दौरान निम्नलिखित प्रतिभूतियों की परिकल्पना की जा सकती है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित/सहायता प्राप्त परियोजना की परिसंपत्तियों को सुरक्षा के लिए प्रभारित किया जाएगा। परियोजना की संपत्ति में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी और लाइसेंस/पेटेंट पर अधिकार शामिल होंगे। • मामला दर मामला आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ ऋण के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के मामले में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास परिसंपत्तियों पर एक समान प्रभार। • निवेश से निर्मित परिसम्पत्तियोंका दूसरा प्रभार जहां पर प्रथम प्रभार बैंब/एफआई द्वारा धारित होता है। • प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों और कम से कम $\text{₹} \diamond$ हिस्सेदारी बनाने और जारी और प्रदत्त पूंजी के 51% तक की शपत-पत्र ली जाएगी। हालांकि, गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत, मामला दर मामला आधार पर, तय किया जाएगा। • परिसंपत्तियों पर प्रभार के अलावा, उत्तर-

		<p>दिनांकित चेक (पीडीसी)/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) और वचन पत्र लिए जाएंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> • बायबैक समझौते के साथ प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी दर्ज की जाएगी। • यदि परियोजना भूमि के रूप में कोई बंधक उपलब्ध नहीं है, तो उधारकर्ता संपार्श्विक प्रतिभूतियों की व्यवस्था कर सकता है।
ÀÄü	परियोजना को पूरा करने की समय सीमा	<ul style="list-style-type: none"> •क¶ स्कीम के अंतर्गत सहायता की पहली किस्त के वितरण की तारीख से अधिकतम 24 महीने की अवधि के भीतर, परियोजना के पूरा होने का समय मंजूरी चरण में परिकल्पित होगा, यदि देरी के कारणों को एएमसी द्वारा उचित माना जाता है जिसे आगे 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। •ख¶ कार्यान्वयन कार्यक्रम का अनुपालन न करने की स्थिति में, स्वीकृत राशि का अतिरिक्त शेष संवितरण निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के अध्यक्षीन होगा।
ÀÄü	चयन प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> • स्कीम के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव दो समितियों और चार चरणों से होकर गुजरेगा: •क¶ अनुवीक्षण समिति (प्रारंभिक चरण): क्या प्रस्ताव अनुबंध-॥ के अनुसार पात्रता मानदण्ड एवं प्राथमिक मूल्यांकन मानदण्ड पूरा कर रहे हैं इसकी प्रारंभिक जांच करने के लिए उन्हें अनुवीक्षण समिति के समक्ष रखा जाएगा। प्रस्तावों को अनुवीक्षण समिति के सामने रखा जाएगा, अनुवीक्षण समिति की मंजूरी के बाद, प्रस्ताव पर विस्तृत मूल्यांकन, बातचीत और संरचना के लिए विचार किया जाएगा। (ख) निवेश समिति (अंतिम चरण): <ol style="list-style-type: none"> i. पात्र प्रस्तावों के मामले में स्वीकृति के लिए निवेश समिति द्वारा एएमसी द्वारा तैयार किए गए विस्तृत प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। ii. वित्तपोषण करने वाले बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकित प्रस्ताव भी एएमसी के संदर्भ के लिए अपना मूल्यांकित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। •ग¶ कानूनी दस्तावेज चरण: निवेश समिति द्वारा

		<p>मंजूरी के बाद, निवेश कंपनी को मंजूरी के नियमों और शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा। आवश्यक कानूनी दस्तावेज एएमसी द्वारा तैयार और निष्पादित किए जाएंगे।</p> <p>•घण॥ संवितरण चरण: उपर्युक्त प्रक्रिया के पूरा होने के बाद संवितरण मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा। निवेशिती कंपनियों को संवितरण एक खेप में किया जाएगा। उन कंपनियों के लिए जहां बैंक/वित्तीय संस्था/सरकार के विभाग से मंजूरी मिली है, एसआईआईएम के अंतर्गत समर्थित मामलों को छोड़कर भारत सरकार के बैंकों/विभाग द्वारा जारी ऋण किश्त/जारी सब्सिडी के अनुपात में न्यास/निधि प्रबंधक द्वारा निधि जारी की जाएगी। कुल परियोजना लागत के लिए वीसीएफ-बीसी के योगदान का संवितरण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के एस्करो खाते के माध्यम से किया जाएगा।</p>
ÀÕü	अनुवीक्षण समिति / निवेश समिति	<p>मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 से अपने दिनांक 13 जनवरी, 2020 के आदेश के अंतर्गत वीसीएफ-एससी तथा वीसीएफ-बीसी दोनों स्कीमों के लिए मौजूदा वीसीएफ-एससी सकीम को रखा हुआ है। इसका उल्लेख निम्नवत है:-</p> <p>कü निवेश समिति/अनुवीक्षण समिति में एनएसएफडीसी, आईएफसीआई/आईएफसीआई वेंचर द्वारा नामित प्रतिकोष और बाहर से पर्याप्त अनुभव रखने वाला एक विशेषज्ञ शामिल होगा।</p> <p>खü अनुवीक्षण समिति में नामित कोई भी निधि निवेश समिति का निधि नहीं होगा।</p> <p>गü प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण करने के लिए अनुवीक्षण समिति की मासिक/नियमित आधार पर बैठक होगी।</p>
ÀÇü	निगरानी	<ul style="list-style-type: none"> • एएमसी के अधिकारी द्वारा समय-समय पर दौरा, निरीक्षण किया जाएगा। एएमसी के अधिकारी इन कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक भी होंगे। • स्कीम के कार्यान्वयन और प्रभाव का आकलन करने के लिए आईएफसीआई वेंचर और मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी।
Àœü	बदलाव	<ul style="list-style-type: none"> • मामले-दर-मामले आधार पर, उपर्युक्त शर्तों के नियम/संरचना भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और

		<p>समय-समय पर बदलाव/संशोधन हो सकते हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> यह स्कीम विभिन्न क्षेत्रों के लिए सेवापूर्ति कर रही है; स्कीम में 6 महीने से 1 वर्ष के बाद संशोधन किया जा सकता है/समीक्षा की जा सकती है।
À-ü	पुर्नसंरचनाकरण/पुर्नकार्यक्रमकरण	निवेश समिति द्वारा पुर्नसंरचनाकरण/पुर्नकार्यक्रमकरण संबंधी बदलाव के लिए मामले-दर-मामले आधार पर तथा व्यवहार्यता एवं संबंधित मुद्दों पर निर्भर करते हुए कतिपय मामलों (दवाबग्रस्त मामलों सहित) में अनुमति प्रदान की जा सकती है। कोष प्रबंधक वेबसाइट पर एक परिपत्र निकालेगा जिसमें विभिन्न श्रेणियों के प्रस्तावों के संबंध में पुर्नसंरचनाकरण/ पुर्नकार्यक्रमकरण संबंधी परिस्थितियों के साथ पुर्नसंरचनाकरण/पुर्नकार्यक्रमकरण में निहित सभी मुद्दों को स्पष्ट करेगा।

7. सौदा स्रोत नीति:

- प्रस्ताव, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेबसाइट आदि के माध्यम से विज्ञापनों/प्रकाशनों के जरिए आमंत्रित किए जाएंगे।
- अन्य संस्थानों/बैंकों/निवेश बैंकरों/अन्य वीसी
- राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के अन्य उद्योग एशोसिएशन।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) तथा अन्य राज्य पिछड़ा वर्ग वित्तीय संस्थाएं। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की स्कीमें।
- व्यापार मेला/प्रदर्शनी/संगोष्ठी
- आईएफसीआई द्वारा संवर्धित तकनीकी परामर्शदात्री संगठन द्वारा (टीसीओ) तथा अन्य संस्थान जिनका प्राथमिक उद्देश्य नए उद्यमियों को तकनीकी परामर्श देना है उन्हें सलाह भी दी जाएगी तथा एससी/बीसी उद्यमियों के प्रस्ताव मंगाने का कार्य भी करेंगे। वे कोष के बारे में भी प्रचार करेंगे तथा उद्यमियों की सहायता करेंगे।
- उद्यमी सीधा आवेदन भी कर सकते हैं।

8. अनुमान्य बाध्यताएं/अनिश्चिताएं :

क्र.सं.	बाध्यताएं	प्रभाव
1	सौदा का स्रोत	पिछड़े वर्गों के पात्र उद्यमियों का चयन करना एक चुनौती भरा कार्य होगा।
2	निवेश जोखिम	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब निवेशित (इनवेस्टिड) कंपनी द्वारा किसी प्रतिलाभ/मूलधन की अदायगी न करना।
3	बहिर्गमन	असूचीबद्ध कंपनियों की निकासी एक चुनौती होगी।
4	प्रतिभूति का प्रवर्तन	चूक करने के मामले में, पिछड़े वर्गों के उद्यमियों की अचल प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में कठिनाई होगी।

9. शिकायत निवारण तंत्र

वीसीएफ-एससी स्कीम की शिकायतों के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र हेतु, एक अंतर मंत्रालयी समिति निम्नानुसार है।

- i. निदेशक/उप-सचिव (वीसीएफ-एससी के प्रभारी), एमओएसजेई विभाग,
- ii. सीएमडी, एनएसएफडीसी
- iii. निदेशक/उप-सचिव (सर्तकता), एमओएसजेई विभाग,
- iv. निदेशक/उप-सचिव (आफएफसीआई के प्रभारी), वित्तीय सेवाएं विभाग
- v. मुख्य/एमडी, आइएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड यह कार्यान्वित एजेंसी •आईएफसीआई) स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के बाहर है।

यह कार्यान्वयन एजेंसी (आईएफसीआई) स्तर के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र से बाहर है।

10. अन्य शर्तें:

- आवेदन स्तर से मंजूरी स्तर तक की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी और आईएफसीआई द्वारा समुचित ट्रेकिंग प्रणाली कार्यान्वित की जाएगी।
- आवेदन पत्र के स्तर से मंजूरी स्तर तक (अर्थात् निवेश समिति के अंतिम निर्णय तक) किसी निवेश प्रस्ताव की परिपक्वता हेतु अपेक्षित अनुमानित समयावधि इक्विटी प्रस्तावों के लिए लगभग 3-4 महीने होगी और इक्विटी से जुड़े ऋण प्रस्तावों के लिए 2-3 महीने होगी।
- सभी सौदों की माल-सूची का रखरखाव करना।
- जब कभी भी अपेक्षित हो, भारत सरकार को कार्य-निष्पादन/अन्य की रिपोर्टिंग करना।
- इस स्कीम में आवश्यक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं वार्षिक रूप से अपनाई जाएंगी।
- निगरानी के बाद की कार्यकलापों और नियमित अद्यतनों से समितियों/बोर्डों को अवगत कराया जाएगा।
- यूसी की प्राप्ति, जहां लागू है, जीएफआर, 2017 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप होनी चाहिए।

दाण्डिक प्रावधान: परियोजनाओं जहां उद्यमियों/कंपनी आदि द्वारा परियोजनाओं के गैर कार्यान्वयन/निधियों का गमन/बकाया राशि का भुगतान नहीं करना आदि है के मामले में मौजूदा ब्याज दर से 2% अधिक का दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा। तथापि, ऐसे मामले में कंपनियों को 6 महीने के लिए विंडो दी जा सकती है।

अनुवीक्षण समिति /निवेश समिति के समक्ष प्रस्ताव जमा कराने की समय सीमा।

अनुवीक्षण समिति पूर्ववर्ती माह के अंत तक प्राप्त सभी मामलों की जांच करने के लिए पखवाड़ा आधार पर बैठक करेगी। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निवेश समिति अनुवीक्षण समिति से प्राप्त प्रस्तावों की जांच/सिफारिश करने के लिए मासिक आधार पर बैठक करेगी।

पिछड़ा वर्ग उद्यम पूंजी कोष के प्रबंध निदेशक स्कीम के व्यापक प्रचार के लिए मीडिया योजना बनाएगा। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक तिमाही में कम से कम तीन बार उद्यमियों के साथ नियमित सम्मेलन/बैठक का आयोजन किया जाएगा।

आईएफसीआई उद्यमपूंजी निधि लिमिटेड

परियोजना के विवरण प्रस्तुत करने का प्रारूप

1. परियोजना की मुख्य विशेषताएं: **विवरण लिखें।**

ब्यौरा	विवरण
कंपनी का नाम	
निगमन की तारीख	
सीआईएन नंबर	
पैन नंबर	
पंजीकृत कार्यालय / कॉर्पोरेट कार्यालय	
निर्माण इकाई/कारखाना स्थान	
प्रस्तावित परियोजना	
प्रस्तावित स्थापित क्षमता	
संवर्धक	
क्षेत्र	
उद्योग	
मौजूदा बैंकर	
लेखा परीक्षक	

2. कंपनी का विवरण

- 2.1 पृष्ठभूमि:- कंपनी की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, अनुभव, उपलब्धियां, आदि
- 2.2 संवर्धक:- संवर्धकों का विवरण, शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव, उपलब्धियां आदि।
- 2.3 कोई पुरस्कार और प्रमाणन: **विवरण लिखें।**
- 2.4 प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति: **विवरण लिखें।**
- 2.5 पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

- आज की तारीख में पूंजी संरचना: **विवरण लिखें।**

कुं अधिकृत पूंजी	राशि (रूपए में)
10/- रूपए के इक्किटी शेयर-प्रत्येक	
खुं जारी, अभिदान और भुगतान प्रदत्त पूंजी	
10/- रूपए के इक्किटी शेयर, पूरी तरह से भुगतान प्रदत्त	

- आज की तारीख के अनुसार शेयरधारिता पद्धति: **विवरण लिखें।**

शेयरधारक का नाम	शेयर की संख्या	पूंजी की राशि (रु.)	शेयरधारिता (%)
-----------------	----------------	---------------------	----------------

कुल			

टिप्पणी: % कंपनी पिछड़ा वर्ग के संवर्धकों के पास है। जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

2.6 संवर्धकों/गारंटर्स की निवल संपत्ति का विवरण: विवरण लिखें।

क्र.सं.	नाम	पैन	जन्म तिथि	निवल मूल्य (रूपए में)
1				
2				
	कुल			

नोट: संवर्धकों के नवीनतम सीए प्रमाणित निवल मूल्य प्रमाण पत्र जमा करें

2.7 कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति

- पिछले 3 वर्षों के लिए लाभ और हानि विवरण: विवरण लिखें

विवरण	लाख रूपए में		
	वित्तीय वर्ष __ (लेखा-परीक्षा)	वित्तीय वर्ष __ (लेखा-परीक्षा)	वित्तीय वर्ष __ (लेखा-परीक्षा)
राजस्व / बिक्री			
व्यय			
अन्य खर्च			
ब्याज भुगतान			
मूल्यहास			
पीबीटी			
कर			
पीएटी			

- पिछले 3 वर्षों का तुलन-पत्र : विवरण लिखें।

विवरण	लाख रूपए में		
	वित्तीय वर्ष __ (लेखा-परीक्षा)	वित्तीय वर्ष __ (लेखा-परीक्षा)	वित्तीय वर्ष __ (लेखा-परीक्षा)
देयताएं			
निधियों के कुल स्रोत			
संपत्तियां			

निधियों का कुल उपयोग			

2.8 बैंकों की हिस्सेदारी/उधार व्यवस्था: विवरण लिखें।

कंपनी ने से सुविधाओं का लाभ उठाया है। विवरण नीचे दिया गया है:

संस्थान/ बैंकों का नाम	सुविधा (साल)	राशि सं. (रूपए लाख में)	ब्याज दर (%)	संवितरित राशि (लाख रूपए में)	ओ / एस ऋण राशि। आज की तारीख में	बनाई गई सुरक्षा
	कुल					

3. प्रस्तावित परियोजना, स्थान और कार्यान्वयन कार्यक्रम:

3.1 प्रस्तावित परिस्कीम के बारे में वर्णन लिखें।

3.2 संस्थापित क्षमता: वर्णन लिखें।

उत्पादन क्षमता	विवरण
पूर्ण / 100% परिचालन क्षमता	
संचालन क्षमता	

3.3 उत्पाद: उत्पादों के ब्यौरा और विवरण के बारे में लिखें।

3.4 कच्चा माल और उसकी आपूर्ति:

- कच्चे माल के ब्यौरा और विवरण के बारे में लिखें;
- स्थान में कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं की सूची के बारे में लिखें;

3.5 जनशक्ति: जनशक्ति की आवश्यकता के विवरण के बारे में लिखें।

3.6 परियोजना स्थल: भूमि दस्तावेज, क्षेत्र आदि सहित भूमि का विवरण जमा करें।

संपर्क	लगभग दूरी (किमी में)
रेलवे	
एयरपोर्ट	

3.7 उपयोगिताएं: उपयोगिताओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- बिजली की आवश्यकता और स्रोत: विवरण लिखें।
- पानी की आवश्यकता और स्रोत: विवरण लिखें।

3.8 अनुमतियाँ और अनुमोदन: संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियों और अनुमोदनों का विवरण:

3.9 कार्यान्वयन कार्यक्रम : विवरण लिखें।

गतिविधि	समापन अवधि
भूमि एवं विकास	
भवन निर्माण एवं प्रीफैब शेडिंग कार्य	
मशीन ऑर्डरिंग	
मशीनरी की आपूर्ति	
कार्य-स्थल पर परीक्षण/संस्थापन/निर्माण एवं लोकार्पण	
पायलेट संचालित/कच्चा माल का स्रोत	

4. **परियोजना लागत:** विवरण लिखें।

लाख रूपए में		
विवरण	परियोजना की लागत	परियोजना में पहले ही खर्च हो चुकी राशि
भूमि / भूमि विकास		
तकनीकी सिविल कार्य (भवन)		
संयंत्र और मशीनरी (संपूर्ण इकाई स्थापना)		
विद्युतीकरण लागत		
फर्नीचर, फिक्स्चर, कंप्यूटर, आदि।		
कोई अन्य लागत (विपणन, आदि)		
कुल निश्चित लागत		
संचालन-पूर्व व्यय		
कार्यशील पूंजी मार्जिन		
निर्माण अवधि के दौरान ब्याज		
परियोजना की कुल लागत		

नोट: उपर्युक्त परियोजना लागत प्रारूप निर्माण इकाई प्रस्तावों के लिए है। आप निर्दिष्ट परियोजना के अनुसार प्रारूप बदल सकते हैं। सेवा/किसी अन्य संबद्ध परियोजनाओं के लिए परियोजना विवरण के अनुसार प्रारूप में परिवर्तन किया जा सकता है।

5. **परियोजना लागत वस्तुओं की पूर्ण सूची और विवरण (उद्धरणों के साथ):** विवरण लिखें।

6. **वित्त के साधन:** विवरण लिखें।

लाख रूपए में			
विवरण	निधि जुटाने की राशि	% शेयरिंग	परियोजना में पहले ही जुटाई गई राशि
इक्विटी में संवर्धक का योगदान			

वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया			
कुल			

7. बाजार, प्रतिस्पर्धा और उद्योग अवलोकन: विवरण लिखें।
8. विपणन रणनीति: विवरण लिखें।
9. स्वोट विश्लेषण: विवरण लिखें।
10. अनुमान (10 वर्षों के लिए) - वित्तीय अनुमानों की एक्सेल शीट जमा करें: विवरण लिखें।
 - लाभ और हानि विवरण:
 - तुलन-पत्र:
 - डीएससीआर की संगणना:
11. जोखिम विश्लेषण: विवरण लिखें।
12. वित्तीय सहायता के लिए दी जाने वाली सुरक्षा का विवरण: विवरण लिखें।

यथोचित निम्न मॉड्यूल

I. कंपनी के वैधानिक दस्तावेज

- क॥ संगठन चार्ट
- ख॥ कंपनी संविदा (स्वामित्व/किराया/ऋण/परामर्श/वारंटी/आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/प्रतिनिधित्व)
- ग॥ शेयर धारित पद्धति
- घ॥ आनुषंगिक शाखाओं/कार्यालयों की सूचना
- ङ॥ वे ही, सहयोग, टाई-अप
- च॥ एमओए, एओए
- छ॥ पंजीकरण का प्रमाणपत्र
- ज॥ व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र
- झ॥ कंपनी का नवीनतम टेलीफोन बिल

II. बाजार और प्रतियोगिता

- क॥ उत्पाद वर्णन
- ख॥ प्रौद्योगिकी
- ग॥ बाजार/उद्योग विश्लेषण
- घ॥ प्रतियोगिता विश्लेषण
- ङ॥ ग्राहक
- च॥ विपणन कार्यनीति, वितरण नेटवर्क, बिक्री प्रयासों के 13 संगठन, बिक्री के आंकड़े

III. व्यापार मॉडल और कार्यनीति

- क॥ लक्ष्य-प्रदर्शन तुलना एवं मूल्यांकन
- ख॥ कंपनी प्रोफाइल/इतिहास/बिजनेस मॉडल और व्यापार क्षेत्र
- ग॥ स्रोत/क्रय (कच्चा माल), प्रदायक सूचना
- घ॥ उत्पाद प्रक्रिया, अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप, उप-ठेकेदार
- ङ॥ निर्यात दर, उद्धृत मुद्रा, मुद्रा जोखिम

IV. प्रबंधन और संगठन

- क॥ प्रबंधन/बोर्ड प्रोफाइल और पारिश्रमिक/अनुबंध
- ख॥ निदेशक-बोर्ड प्रोफाइल/संवर्धक की पृष्ठभूमि और पारिश्रमिक/निर्भरता/अनुबंध, संवर्धकों का पैर नंबर, पहचान प्रमाण-पत्र, पिछले 3 वर्षों के लिए संवर्धकों की आईटी रिटर्न।
- ग॥ मानसिकता / टीम की गतिशीलता
- घ॥ निगम संबंधित शासन प्रणाली, एमआईएस
- ङ॥ नियंत्रण, आंतरिक रिपोर्टिंग
- च॥ परियोजना प्रबंधन, उत्पाद प्रबंधन, कर्मचारियों की भागीदारी (टीक्यूएम/टीपीएम/सीआईपी)
- छ॥ जोखिम प्रबंधन और प्रशम योजनाएं/ गुणवत्ता मानक

•ज॥ इक्विटी, कॉर्पोरेट कार्रवाइयां, निष्क्रिय भागीदार

v. वार्षिक रिपोर्टें और वित्तीय डेटा

- क॥ लेखाकरण सॉफ्टवेयर, प्रवाह चार्ट, लिक्विडिटी योजना के लिए प्रक्रियाएं, मूल्यहास पद्धति एवं प्रक्रिया उपकरण
- ख॥ समूह कंपनियों सहित पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट
- ग॥ संपत्ति अनुसूची, मूल्यहास अमूर्त संपत्ति
- घ॥ आईपी अधिकार, लाइसेंस, एनडीए, विवाद
- ङ॥ संपत्ति के अधिकार, प्रमुख संपत्ति
- च॥ देनदारों की सूची, ऋण की मात्रा, क्रेडिट रेटिंग
- छ॥ नकद पूलिंग समझौते
- ज॥ प्रोन्नत, पेंशन देनदारियों की सूची
- झ॥ पी एंड एल- स्टेटमेंट (पुनः उत्पाद, ग्राहक, व्यावसायिक इकाइयां, क्षेत्र)
- ञ॥ गतिविधि आधारित लागत/प्रबंधन (एबीसी/एम)
- ट॥ आकस्मिक देयताएं
- ठ॥ भूमि का पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो
- ड॥ लाभांश अदा किया
- ढ॥ मूल्यांकन का आधार
- ण॥ आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

v I. व्यापार योजना की समीक्षा

- क॥ अनुमानित वित्तीय योजना (पी एंड एल, तुलन-पत्र, नकद प्रवाह)
- ख॥ बिक्री योजना (उत्पाद, बाजार)
- ग॥ उत्पाद योजना
- घ॥ एचआर योजना
- ङ॥ निवेश योजना
- च॥ लिक्विडिटी योजना
- छ॥ अन्य, अंतर्निहित धारणाएं
- ज॥ धन जुटाने और उपयोग के लिए समय सीमा।

v II. कार्यबल और कर्मचारी लाभ

- क॥ कर्मचारियों और पारिश्रमिक की सूची
- ख॥ उच्चतम स्तर की कमाई वाले कर्मचारियों की विस्तृत सूची
- ग॥ कंपनी खातों तक पहुंच वाले कर्मचारियों की सूची
- घ॥ एचआर अनुबंध
- ङ॥ कर्मचारी लाभ कार्यक्रम और लागत
- च॥ पिछले वर्षों के मापदंडों को घटाना

v III. अन्य

- क॥ आपूर्तिकर्ता, भागीदार, समझौता ज्ञापन यदि कोई हो, अनन्य अधिकार आदि।
- ख॥ बीमा
- ग॥ उत्पाद की जिम्मेदारी
- घ॥ पर्यावरण के मुद्दे/प्रदूषण स्तर

- ड॥ अधिकारियों के साथ संचार
- च॥ महत्वपूर्ण व्यावसायिक विकास
- छ॥ कानूनी विवाद/ आरोप/ कंपनी/ प्रवर्तकों के खिलाफ आरोप यदि कोई हों
- ज॥ भूमि पट्टे के कागजात
- झ॥ चल रहे कानूनी मुकदमों पर शपथ-पत्र, यदि कोई हो या नहीं
- ञ॥ एक ही तकनीक का उपयोग करने वाले दो लोगों/ ग्राहकों के संपर्क संदर्भ
- ट॥ कोई अन्य जानकारी, यदि कोई हो

IX. लेखा निरीक्षण

1. लेखाकरण की प्रणाली (दस्ती रूप से, टैली, एसएपी आदि)।
2. स्रोतों और निधियों के उपयोग के लिए सीए प्रमाणपत्र।
3. लेखा बही के साथ निधियों के स्रोत/रसीद की जाँच करें।
4. बैंक विवरण और खाता बही/सीए प्रमाणपत्र के साथ शेयर आवेदन राशि की रसीद।
5. शेयर पूंजी खाते (बहीखाता) मिनट बुक/ आरओसी रिटर्न और शेयर रजिस्टर की जांच करने के लिए।
6. ऋण की मंजूरी और संवितरण: संस्था/बैंक के आशय पत्र से लेकर बैंक विवरण/सीए प्रमाणपत्र के साथ संवितरण जानकारी।
7. बैंक समाधान विवरण।
8. नकद भुगतान प्रणाली की जाँच करें।
9. संवर्धकों से ऋण: सुरक्षित अथवा असुरक्षित।
10. खातों की किताबों में कोई अन्य बड़ी प्राप्ति।
11. भूमि पर व्यय : स्रोत, यदि नकद में अथवा शेयर पूंजी के बदले भुगतान किया है, यदि शेयर पूंजी या शेयर आवंटित है अथवा अन्यथा।
12. भूमि विकास पर व्यय, भवन, चारदीवारी, सड़क आदि पर व्यय।
13. संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए अग्रिम किया गया अथवा पूर्ण भुगतान।
14. अचल/चल संपत्तियों की खरीद सहित बिलों/चालानों/क्रियदेशों से सत्यापित करने के लिए 9 से 11 तक के व्यय और खातों की पुस्तकों/बैंक विवरण से सत्यापित करने के लिए भुगतान।
15. अचल संपत्तियों के लिए प्रविष्टियों को सत्यापित/जांचने के लिए अचल परिसंपत्ति रजिस्टर।
16. बही खाते बैंक विवरण, वाउचर, सहायता के प्रचालन पूर्व व्यय की जांच।
17. सभी अचल/चल संपत्ति के लिए बीमा कवर।
18. सभी सांविधिक देय राशि, रिटर्न (3 साल के लिए आयकर, पीएफ, आरओसी, वैट, सेवा कर आदि) की कटौती और भुगतान की जाँच (कंपनी से एक प्रमाण पत्र लें) करना।
19. आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट यदि उपलब्ध हो।
20. 2/3 पिछले वर्षों की तुलना-पत्र, यदि उपलब्ध हो।
21. निदेशक मंडल की नियुक्ति (एमडी, पूर्णकालिक निदेशकों को वेतन/भत्तों के भुगतान के लिए)।
22. आकस्मिक देयताएं, कंपनी द्वारा दी गई गारंटी।
23. कंपनी द्वारा और कंपनी और निदेशक के खिलाफ दायर मुकदमे।

*स्रोतों और निधियों के उपयोग के लिए सीए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी

**बैंक विवरण और खाता बही के दुतरफा पड़ताल।

उत्पादन और परिणाम निगरानी विवरण:

पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-बीसी) (सीएस)						
वित्तीय परिव्यय (करोड़ रूपए में)	उत्पादन			परिणाम		
	उत्पादन	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
प्रश्न 1 = प्रश्न 2 = प्रश्न 3 = प्रश्न 4 =	अनुसूचित जाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता	स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जातिके उद्यमियों की संख्या		स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों की संख्या	वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के उद्यमियों की संख्या में वृद्धि	उद्यमी। प्रश्न 1 = प्रश्न 2 = प्रश्न 3 = प्रश्न 4 =

अगले 5 वर्षों के लिए वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत अनुमान

वर्ष	5 करोड़ रूपए तक वित्तीय सहायता के साथ सहायता हेतु प्रस्तावित कंपनियों की संख्या:	5 करोड़ रूपए तक वित्तीय सहायता के साथ सहायता हेतु प्रस्तावित कंपनियों की संख्या:	एससी (टीबीआई, आदि के माध्यम से पहचाने गए) द्वारा समर्थित नए ऊष्मायन विचारों और स्टार्ट-अप विचारों की प्रस्तावित संख्या
2021-22	15	3	~
2022-23	15	3	~
2023-24	15	3	~
2024-25	15	3	~
2025-26	15	3	~